

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
यमुना खेल परिसर
YAMUNA SPORTS COMPLEX

नियम एवं विनियम
RULES & REGULATION

1. भूमिका

1. Introduction

यमुना खेल परिसर की स्थापना, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में खेलों के विकास एवं प्रसार के एक भाग के रूप में की है। इस निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, बिलियर्ड्स, ताइक्वण्डो, क्रिकेट, एयरोबिक, योग, बास्केट बाल, कैरम, कृत्रिम, क्लाइम्बिंग, जिमनास्टिक, तैराकी, बाल तरण-ताल, मल्टीजिम, स्केटिंग, जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध है। अन्य खेलों की सुविधाएं बाद में दी जाएंगी।

Yamuna Sports Complex has been set up by the Delhi Development Authority as a part of development and growth of Sports in Delhi. The name of the body will be Delhi Development Authority, Yamuna Sports Complex. It provides playing facilities such as -Tennis, Table Tennis, Badminton, Basketball, Billiards, Taekwondo, Cricket, Aerobics, Yoga, Basketball, Carrom, Climbing Wall, Gymnastics, Swimming, Toddlers Pool, Multigym, Skating etc. Facilities for other sports may be added subsequently.

2. उद्देश्य :

Objectives

दि.वि.प्रा. यमुना खेल परिसर (इसे आगे खेल परिसर कहा गया है) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

The objectives of the DDA Yamuna Sports Complex (hereinafter called the Sports Complex) are :-

- (क) मुख्य योजना की आवश्यकतानुसार दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजनात्मक एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना।
To provide recreational & healthy environment to the citizens of Delhi keeping in view the requirement of Master Plan.
- (ख) सामान्य रूप से दिल्ली के नागरिकों में और विशेष रूप से परिसर के सदस्यों में खेल-गतिविधियों और पारस्परिक सहायता की भावना उत्पन्न करना।
To induce sports activities and spirit of mutual help and goodwill among citizens of Delhi in general and in members of the body in particular.
- (ग) विभिन्न खेलों, जैसे टेनिस, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, स्केटिंग, ताइक्वण्डो, एयरोबिक्स, तैराकी और अन्य टीम खेलों को बढ़ावा देना।
To promote various sports e.g. Tennis, squash, Table Tennis, Billiards, Badminton, Taekwondo, Aerobics, Swimming and other team games.

3. सामान्य उद्देश्य :

General Objectives

(क) खेल परिसर द्वारा उपलब्ध कराये गए खेलों के संबंध में प्रयुक्त सभी प्रकार के उपकरणों/सामग्रियों को खरीदना, तैयार करना, उनकी आपूर्ति/बिक्री, या उनसे संबंधित कार्य करना।
To buy, prepare, supply, sell or deal in all kinds of apparatus/materials used in connection with games provided by the Sports Complex.

(ख) खेल-परिसर चलाने के संबंध में आवश्यक सभी प्रकार के फर्नीचर, उपकरणों, औजारों, बर्तनों, कपड़ों, लेखन-मदों, कार्डों और अन्य मदों को खरीदना, किराए पर लेना, बनाना या उपलब्ध कराना।

To purchase, hire, make or provide and maintain all kinds of furniture, implements, tools, utensils, linen, stationery, cards and other items required in connection with the running of the Sports Complex.

(ग) परिसर के दैनिक चालन के लिए आवश्यक मार्कर, प्रशिक्षकों, अनुदेशकों, ग्राउण्ड्समेन और अन्य कर्मचारियों को किराए पर लेना, रखना और कार्य करवाना तथा सहमति और सेवा-शर्तों के अनुसार भुगतान करना।

To hire, engage and employ markers, coaches, instructors, groundsman and other staff required for day to day running of the complex and pay them as per service conditions as may be agreed upon.

(घ) दिल्ली में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड के सम्पूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और विनिदेश में कार्य करना।

To work under overall control, supervision and direction of the Management Board under the chairmanship of Hon'ble L.G. of Delhi for promotion of Sports facilities in Delhi.

(ङ) उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सभी विधिसंगत कार्य करना जो संबंधित या उपयोगी हों।

To do all other lawful things as are incidental or conducive for the attainment of the above objectives.

(च) प्रबंध बोर्ड को खेल-परिसर के उपयुक्त संचालन और प्रबंध के लिए उन सभी नियमों/उप-विधियों में समय-समय पर ऐसे संशोधन एवं निरस्त करने की शक्तियां होगी, जो वह आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

The Management Board shall have power from time to time to make, alter and repeal all such rules/bye-laws as they may deem necessary or convenient for the proper conduct and management of the Sports Complex.

4. सदस्यता :

Membership

विभिन्न प्रकार की सदस्यताओं का विवरण नीचे दिया गया है और बाद वाले पैराग्राफ में उनकी परिभाषा दी गई है। सभी वर्गों की सदस्यता का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किया जाएगा। तथापि सदस्यता लेने से खेल-परिसर में केवल खेलने का अधिकार ही होगा।

Various categories of membership are given below and are defined in succeeding paragraphs. Membership in respect of all the categories will be approved by or on behalf of the Management Board. Membership, however, only provides playing rights in the Sports Complex.

- (क) व्यक्तिगत सदस्यता : भारतीय/विदेशी नागरिक।
Individual Membership; Indian/Foreign Citizen
- (ख) आश्रित सदस्यता
Dependent Membership
- (ग) एसोशिएट सदस्यता
Associate Membership
- (घ) वरिष्ठ नागरिक सदस्यता
Senior Citizens Membership
- (ङ) निगमित सदस्यता भारतीय/विदेशी कंपनियां
Corporate Membership; Indian/Foreign Companies
- (च) अतिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता
Non-Resident Indian (NRI) Membership
- (छ) अस्थायी सदस्यता
Temporary Membership
- (ज) विशेष अस्थायी सदस्यता
Special Temporary Membership
- (झ) मानद सदस्यता
Honorary Membership
- (य) विशेष मानद सदस्यता
Special Honorary Membership
- (ट) स्टाफ सदस्यता (केवल दि.वि.प्रा. स्टाफ)
Staff Membership (DDA Staff only)
- (ठ) अतिथि सदस्यता
Guest Membership
- (ड) आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो और खेलो)
Casual Membership (pay & play)

5. व्यक्तिगत सदस्यता :

Individual Membership

21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने का पात्र होगा। दी गई सदस्यता हस्तांतरित नहीं की जाएगी। कोई भी सदस्य अपनी पत्नी/पति और बच्चों (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के) को अपने "आश्रित" के रूप में नामांकित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आश्रितों का नामांकन करना अनिवार्य है। आश्रित सदस्यों के संबंध में समय-समय पर यथानिर्धारित मासिक अंशदान, व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए परिवार के विवरण के अनुसार की जाएगी। नामांकित किए गए आश्रित सदस्य, 21 वर्ष की आयु अर्थात् एसोशिएट सदस्यता के लिए पात्रता की आयु प्राप्त करने तक आश्रित सदस्य के रूप में रहेंगे। तथापि प्रबंध बोर्ड को आश्रितों की सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार है।

Any individual above 21 years of age shall be eligible for becoming a regular member. The membership once granted shall not be transferred. Individual member can nominate his/her spouse and children (between age of 5 years to 21 years) as dependent. It is necessary to nominate dependents at the time of applying for individual membership. The monthly subscription in respect of dependent members as prescribed from time to time shall be effective from the date of approval of individual membership. The total monthly subscription shall thus be calculated as per the family details given by the member. The dependent members once nominated are liable to continue as dependent members till they attain the age of 21 years, the eligible age for Associate Membership. The Management Board however reserves the right to refuse or accept the membership of the dependents.

6. आश्रित सदस्यता :

Dependent Membership

- 6.1 पत्नी/पति एवं 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक के कानूनी बच्चे आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। तथापि, आश्रितों को सदस्य नामित करेंगे और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आवेदन फार्म/उप-विधि फार्म में उनके विवरण देंगे।
Spouse and legal children-between the age of 5 years to 21 years, are eligible to become dependent members. Dependents, however, have to be nominated by the member and their details should be disclosed in the application form/bye-laws form at the time of applying for any category of membership.
- 6.2 कोई भी सदस्य, जो खेल परिसर की सदस्यता प्राप्त करने के बाद विवाह करता है, वह अपनी पत्नी/पति को, अपने विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल कर सकता/सकती है। इसी तरह, बच्चों को 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आश्रित के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रित का नाम शामिल कराने, उनके अंशदान का भुगतान करने आदि की जिम्मेवारी सदस्यों की है। ऐसे मामलों में मासिक अंशदान, उनके विवाह के महीने या बच्चों के 5 वर्ष का आयु प्राप्त करने के महीने से प्रभावी होगा।

Any member who gets married after obtaining the membership of the Sports Complex may get his/her spouse included as dependent from the date of marriage. Similarly, children on attaining the age of 5 years are permitted as dependents. The onus of including the name of dependents, and payment of their subscription lies with the member. The monthly subscription in such cases shall be effective from the month of their getting married or children attaining the age of 5 years.

- 6.3 यदि आश्रितों के अंशदान का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया जाता है तो आश्रित सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

Unless payment of subscription for dependents is made from the date of approval of individual membership, dependents will not be issued the membership card.

- 6.4 आश्रित के 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह आश्रित सदस्य नहीं रहेगा। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड वापस करना होगा।

Dependent children will cease to be dependent member on attaining the age of 21 years. They must surrender their membership card.

- 6.5 यदि कोई व्यक्तिगत सदस्य अपने आश्रितों को बाद में किसी चरण पर सदस्य बनाने का इच्छुक है तो उसे पूर्व प्रभाव अर्थात् व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से लागू मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा।

The individual member intending to enroll his dependents as members at a later stage shall have to pay the monthly subscription as applicable with retrospective effect i.e. from the date of approval of his/her membership.

- 6.6 आश्रित कार्ड एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और नए कार्ड प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नए फोटो के साथ बदले जाएंगे।

Dependent cards will be issued for a period of 5 years at a time and new cards will be changed every 5 years with latest photographs.

7 एसोसिएट सदस्यता

Associate Membership

किसी सदस्य का आश्रित बच्चा, जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक परिसर का उपयोग किया है, 21 वर्ष की आयु का होने पर यदि वह परिसर का उपयोग जारी रखने का इच्छुक हो तो एसोसिएट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। स्थान उपलब्ध होने के आधार पर प्रबंध बोर्ड उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर एसोसिएट सदस्यता दे सकता है :-

On attaining the age of 21 years, the dependent children of a member who have used the complex for a minimum period of one year may apply for Associate membership if he/she wishes to continue the use of the complex. Depending upon the availability of vacancies, the Sports Management Board may grant Associate Membership subject to following conditions :-

- (क) 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के एक वर्ष के अंदर एसोसिएट सदस्य बनने का विकल्प दिया जाए।

Option to become Associate member must be exercised within one year of attaining the age of 21 years.

- (ख) प्रचलित प्रवेश-शुल्क के 50% के बराबर अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा।

Payment of a non-refundable entrance fee is equivalent to 50% of prevalent entry fee.

- 7.1 एसोसिएट सदस्य के लिए मासिक अंशदान शुल्क व्यक्तिगत सदस्य के शुल्क के समान ही होगा।

The monthly subscription for Associate members will be same as for the individual members.

- 7.2 एसोसिएट सदस्य को अपने अश्रितों का नाम शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं होगी।

Associate members are not permitted to add dependents & to bring guests.

8. वरिष्ठ नागरिक सदस्यता

Senior Citizens Membership

वरिष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन व्यक्तियों के लिये है, जो 60 वर्ष की आयु के हो चुके हैं। इसके लिए उन्हें आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पति/पत्नी के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक सदस्यों के 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी सामान्य मासिक अंशदान का भुगतान करके उनके आश्रित सदस्य बन सकते हैं। तथापि आश्रित सदस्य के 21 वर्ष के हो जाने के बाद यदि वे इस सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे तो एसोसिएट के सदस्यता लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें व्यक्तिगत सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि सदस्यता उपलब्ध हो और कमेटी/बोर्ड उनकी सदस्यता को अनुमति कर दें।

"Senior Citizens Membership is meant only for those who have attained the age of 60 years. This will be against proof of age. Apart from spouse the children of Senior citizen members below 21 years of age can become dependent members on payment of normal monthly subscription. However, after the dependent attains 21 years of age and he/she desires to continue using the facility then he/she will not be considered for Associate Membership and will require to apply for individual Membership subject to availability of vacancy and approval of the Committee/Board" ..

9. निगमित सदस्यता :

Corporate Membership

सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाएं अनुमोदन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क के भुगतान की शर्त पर निगमित सदस्यता के लिए पात्र हैं। एक नामित व्यक्ति को समय-समय पर यथानिर्धारित मासिक अंशदान पर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रायोजक संस्था पूर्व सूचना देकर नामित व्यक्ति का नाम परिवर्तित करा सकती है और नामित व्यक्ति का परिवर्तन होने से पहले अनुमोदन ले सकती है। विगत नामित व्यक्ति का कार्ड वापस लौटाना होगा।

Public sector and private commercial firms are eligible for Corporate membership subject to approval and payment of prescribed entrance fee. One nominee will be allowed to use the facilities on monthly subscription as prescribed from time to time. The sponsoring firm may get the name of nominee changed by giving prior intimation and taking approval before change of nominee is effected. The cards of the previous nominees will be surrendered.

10. अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता :

NRI Membership

अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश-शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। राशि का भुगतान निर्धारित बैंक के माध्यम से अनिवासी खाते से निर्धारित प्रवेश-शुल्क की समकक्ष राशि के रुपये में ड्राफ्ट द्वारा और बैंक से इस आशय से एक प्रमाणपत्र के साथ भुगतान किया जाए कि राशि व्यक्ति के अनिवासी खाते से डेबिट कर दी गई है।

NRIs are eligible to obtain individual membership subject to payments of prescribed entrance fee. The amount should be paid by draft in Rupees from non-resident account of the NRI through a scheduled bank alongwith a certificate from the bank certifying that the amount has been debited from NRI account of the individual.

11. अस्थायी सदस्यता :

Temporary Membership

अस्थायी सदस्यता, यथानिर्धारित अप्रतिदेय शुल्क का एक साथ भुगतान पर 3 महीनों की अवधि के लिए दी जाती है। यह पारिवारिक सदस्यता है। आश्रितों (पत्नी/पति एवं बच्चों) को आश्रित के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा भुगतान नकद के रूप में अग्रिम रूप में करना होगा। अस्थायी सदस्यों को अतिथि लाने की अनुमति नहीं होगी।

Temporary Membership is for a period of 3 months on one time non-refundable payment of fee as prescribed. It is family membership. Spouse and children constitute the family. Dependents (spouse and children) pay the prescribed fee for the dependent membership. Payment should be made in advance by way of Cash. Temporary members are not allowed to bring Guest.

11.1 अस्थायी सदस्यता सचिव द्वारा पहले आओ-पहले पाओ आधार पर स्थान उपलब्ध होने पर दी जाती है।

Temporary membership is given by the Secretary on first come first serve basis and on availability of vacancy.

11.2 आवेदक को पृथक सदस्यता कार्डों के लिए अपने तथा आश्रितों के टिकट के आकार के दो फोटो देने होंगे 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के जन्म-प्रमाणपत्र की एक प्रति भी जमा करानी होगी।

Applicant is required to submit two stamp size photographs of self and dependents for separate membership cards. A copy of birth certificate for dependent legal children between the age of 5 years to 21 years is also required.

12. विशेष अस्थायी सदस्यता

Special Temporary Membership

परिसर के 2 कि.मी. दायरे में रहने वाले केवल सरकारी कर्मचारी प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन और आवेदक की पत्नी/पति और बच्चों (21 वर्ष से कम आयु के) के लिए एक वर्ष के लिए एक समयकालिक अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर इस प्रकार की सदस्यता लेने के पात्र हैं। बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।

Only Central Govt. Officials residing within the radius of 2 Kms. from the complex are eligible for this type of membership, subject to approval by the Management Board and on payment of prescribed fee as one time non-refundable fee for one year for the applicant, spouse and children (children below 21 years). Officials working in Banks, Public Sectors and Autonomous bodies are not eligible for this type of membership.

13. मानद सदस्यता :

Honorary Membership

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य मानद सदस्य होंगे।

Past and present Chairman, Vice-Chairman, Finance Member and Engineer Member of DDA will be the honorary members.

14 विशेष मानद सदस्यता

Special Honorary Membership

यह सदस्यता दिल्ली के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त या उत्कृष्ट राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। विशेष मानद सदस्यों को प्रवेश-शुल्क के भुगतान से छूट होगी किंतु उनसे सामान्य मासिक अंशदान निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाएगा।

This is offered to Arjuna Awardees or to exceptional National/International players residing in Delhi as per the rules framed by the Sports Management Board. Special Honorary member will be exempted from paying the entry fee but will be charged normal monthly subscription as per prescribed rates.

15. स्टाफ सदस्यता :

Staff Membership

इस प्रकार की सदस्यता केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तक सीमित है।

This type of membership is restricted only to employees of the DDA.

16. अतिथि सदस्यता :

Guest Membership

नियमित सदस्य, निर्धारित शुल्क के भुगतान की शर्त पर परिसर की उप-विधियों के अनुसार, परिसर की सुविधाएं लेने के लिए अतिथि ला सकते हैं। अतिथि एवं सदस्य का नाम, इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में लिखा जाएगा। ड्यूटी प्रभारी को अतिथि सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के सभी अधिकार हैं।

Guests can be brought by the regular member to avail facilities of the Complex as per bye-laws of the Complex, subject to payment of charges as prescribed. The name of the guest and that of the member will be entered in the book kept for the purpose. The duty in-charge has the right to refuse or accept guest membership.

16.1 सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।

A member will be responsible for the conduct of his/her Guest.

16.2 प्रबंध-तंत्र/ड्यूटी प्रभारी किसी भी अतिथि को व्यस्त घंटों अर्थात् प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सांय 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (ग्रीष्मकाल में) और प्रातः 6.30 से प्रातः 8.30 बजे तक तथा सांय 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक (सर्दियों में) किसी भी सुविधा के लिए मना कर सकता है।

6.2 Management/duty in-charge has the right to refuse any guest during peak hours i.e. 6.00 to 8.00 AM and 7.00 to 9.00 PM (in summer) & 6.30 to 8.30 AM and 6.30 to 8.30 PM (in winter) for any facility.

17. आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो एवं खेलो)

Casual Membership (Pay & Play)

परिसर प्रभारी क्रमशः भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को आकस्मिक सदस्यता (केवल दिन के समय वैध) निर्धारित प्रभार तथा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य प्रभारों के भुगतान पर दे सकता है। इसी श्रेणी की सदस्यता, खेल सुविधाएं उपलब्ध होने की शर्त पर दी जाएगी।

Casual membership (valid for the day) may be allowed by Complex in-charge subject to payment of charges as prescribed for Indian Nationals and Foreign Nationals respectively and other charges as may be prescribed from time to time. This category of membership will be allowed subject to availability of sports facilities.

18. मृतक सदस्यों की विधवा/विधुरों की पृथक सदस्यता।

Membership of widows/widowers

किसी मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करती/करता है, उसे निदेशक (खेल) के अनुमोदन पर सदस्य बनाया जा सकता

है। ऐसे मामलों में कोई प्रवेश शुल्क देय नहीं होगा। तथापि, सदस्यता आबंटित करने से पहले पिछले बकाया शुल्क का निपटान करना होगा। In the case of widow/Widower of a deceased individual member who applies to be admitted as an individual member, she/he may be made a member, subject to the approval of Director (Sports). No entrance fee shall be payable in such Cases, However, previous outstanding dues will be settled before membership is allotted.

19. सदस्यता कार्ड :

Membership Card

19.1 प्रत्येक सदस्य (आकस्मिक सदस्य को छोड़कर) को, सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर खेलने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों एवं आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पृथक सदस्यता कार्ड बनवाने होंगे। कार्ड पर सदस्यों/आश्रितों के 1x1½ आकार के रंगीन फोटो चिपकाने होंगे। सदस्यता कार्डों के लिए भुगतान और शर्तें यथानिर्धारित हैं।

Each member and dependent member (Except for casual member) will be permitted to use the facilities only on production of membership card. Separate membership cards for members and dependents are required to be made on payment of prescribed charges. Member's/ dependent's coloured photograph of size 1"x1½" has to be affixed on the card. In the complex on payment terms for membership cards are as prescribed.

19.2 सदस्यता कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने और निर्धारित तारीख के बाद कार्ड लेने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी।

It is the responsibility of the member to apply for preparation of membership card and to collect it after the due date.

19.3 कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना या कार्ड नहीं लेना सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करते हुए मासिक अंशदान का भुगतान नहीं करने के लिए क्षम्य नहीं होगा।

Not applying or collecting the card will not be an excuse for not paying monthly subscription using the facilities without having the membership Card.

19.4 कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड बनवाने के लिए जुर्माना और यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

Loss of card will invite penalty plus additional charges as prescribed for making a duplicate card.

19.5 यदि कार्ड गुम हो जाता है तो सदस्य को दूसरा कार्ड बनवाने के लिए पुलिस-रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आश्रित से कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड लेने के लिए सदस्य अनुरोध करेगा।

If a card is lost the member has to apply for duplicate card alongwith copy of Police Report. In case of loss of card by dependent, a request is required from the

earlier. On completion of 5 years from the date of issue of the card the member should apply for the fresh card specially for the dependent on payment and surrender the old card.

19.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख जो भी पहले हो होगी। कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर सदस्य विशेष रूप से आश्रित के लिए भुगतान पर नए कार्ड के लिए आवेदन करेगा और पुराना कार्ड वापस लौटाएगा।

19.6 Validity of dependent card for children is 5 years or the date of attaining the age of 21 years whichever is

20. सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क एवं अंशदान शुल्क :

Entrance Fee & Subscription Fee for Membership
प्रवेश-शुल्क एवं मासिक अंशदान की दरें म्निलिखित हैं। इनमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है :-

The following are the rates for entrance fee and monthly subscription. These are subject to revision from time to time. The amount includes Service Tax.

सदस्यता Membership	प्रवेश शुल्क Entry Fee (अप्रतिदेय) रु. (Non Refundable)	मासिक अंशदान Monthly Subscription सदस्य (रु.) Members	आश्रित (रु.) Dependent	टिप्पणी *Remarks
क. व्यक्तिगत सदस्यता				
(A) Individual Membership:				
भारतीय नागरिक				
a) Indian Citizen				
(1) सरकारी कर्मचारी (आश्रित सहित)	5000 /-	120 /-	50 /-	
(i) Govt. Service**				
(2) अन्य (गैर सेवा)	10,000 /-	120 /-	50 /-	
(ii) Others (Non-Service)				
(3) स्टाफ सदस्यता (दि.वि.प्रा.)	1000 /-	50 /-	35 /-	
(iii) Staff Membership (DDA Employee)				
(4) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)	2000 /-	75 /-	30 /-	केवल पत्नी/पति आश्रित है
(iv) Senior Citizen (above 60 years)			50/- for below 60 years	Only spouse *dependant
(5) विदेशी नागरिक	\$ 1500 /-	\$ 50 /-	\$ 15 /-	
(b) Foreign Citizen				
(6) अप्रवासी भारतीय	\$ 1000 /-	\$ 120 /-	\$ 50 /-	रुपये के समकक्ष डालर
(c) Non Resident Indian				(\$equivalent in Rs.)
(द) एसोसियेट	रु.5000 /-	रु.120 /-		आश्रित मान्य नहीं है।
(d) Associate				Dependent
(ख). नियमित सदस्यता (एक नामित)				Not entitled
B. Corporate Membership(One nominee)				
(1) भारतीय कंपनी	50,000 /-	500 /-		आश्रित सहित
(i) Indian Company				* Including dependent
(2) विदेश कंपनी	\$ 5000 /-	\$ 70 /-	-	आश्रित सहित
(ii) Foreign Company				* Including dependent
(ग) अस्थायी सदस्यता (केवल 3 महीनों के लिए)				
C. Temporary Membership (for 3 months only)				
(1) भारतीय नागरिक	1000 /-	-	150 /-	
(i) Indian Citizen				
(2) विदेशी नागरिक	2000 /-		150 /-	
(ii) Foreign Citizen				
(घ) विशेष अस्थायी (1 वर्ष) केवल सरकारी अधिकारी	3000 /-	-		आश्रित सहित
(D) Spl. Temporary (1 year) valid for (officers of Govt. of India)		-		* Including dependent

(ड) विशेष मानद	छूट है	120/-	50/-	
(E) Spl. Honorary	Exempted			
(च) अनुपस्थित सदस्यता	शून्य	40/-	20/-	
(F) Absentee Membership	Nil			
(छ) अतिथि सदस्यता (सदस्य के साथ)	शून्य Nil	—	—	25/-प्रति दिन Rs. 25/-per day

(G) Guest Membership
(accompanied with the member)

(ज) आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो एवं खेलों)

(H) Casual Membership (Pay & Play)

(1) भारतीय नागरिक	—	—	—	40/-प्रति दिन Rs. 40/- per day
(i) Indian Citizen				
(2) विदेशी नागरिक	—	—	—	100/-प्रति दिन Rs. 100/- per day
(ii) Foreign Citizen				

टिप्पणी:—सभी प्रभारों/शुल्क में कोई सूचना दिए बिना परिवर्तन किया जा सकता है। सदस्यता का प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है।

Note : 1) All the charge/fee are subject to change without any notice. Entry fee of Membership is non-refundable

2) Service Tax extra as applicable (सेवा शुल्क अतिरिक्त नियमानुसार)

सरकारी कर्मचारी—केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायो अर्थात् दि.न.नि. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली जल एवं दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी।

Govt. Servants-employees of Central Govt., State Govt., and local bodies i.e. MCD, New Delhi, Municipal Council, Delhi Jal Board.

21. अंशदान का भुगतान :

Payment of Subscription

21.1 सदस्यों को कोई बिल नहीं भेजा जाएगा। खेल परिसर के लेखाकार/रोकड़िया को अंशदान की दर के अनुसार देय राशि चैक द्वारा भेजी जा सकती है अथवा नकद भुगतान किया जा सकता है। सभी कार्य—दिवसों को प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 3 बजे तक भोजन-अवकाश (1 बजे से 2 बजे तक छोड़ कर)। अंशदान का भुगतान तिमाही, छः माह अथवा पूरे वर्ष के लिए अग्रिम रूप से किया जा सकता है।

No bills will be sent to the members. Dues as per the rate of subscription may be sent by cheque or paid in cash to the Accountant/Cashier of the Sports Complex (between 10.00 AM to 3.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM on all working days). Subscription may be paid in advance for a quarter, six months or for full year.

21.2 सदस्य अन्य घंटों में भी मासिक अंशदान या चैक प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर रखे चैक बॉक्स में डाल सकते हैं। चैक के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें :-

Members may also drop the cheque of monthly subscription even in the odd hours in the Cheque Box affixed outside the Administrative Block with the following information on the back of the cheque.

(1) सदस्य का नाम
Name of Member

(2) सदस्यता संख्या
Membership Number

(3) आश्रितों की संख्या
Number of dependents

(4) भुगतान की अवधि
Period of payment

चैक यमुना खेल परिसर डी.डी.ए. के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखांकित होने चाहिए। बाहर के स्थानों के चैक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

The cheque must be crossed A/c payees only drawn in favour of Yamuna sports complex DDA Outstation cheques will not be accepted.

21.3 ऐसे चैकों की रसीदें स्वागत कक्ष/प्रशासनिक ब्लॉक में लगे लघु बॉक्सों में उपलब्ध होंगी।

Receipt of such cheques will be available at the Reception/in Pigeon Box affixed in the Administrative Block.

21.4 चैक डाक/कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं। ऐसे चैकों की रसीदें भी स्वागत कक्ष/लघु बॉक्स में उपलब्ध होंगी।

Cheque may also be sent by post or through courier. The receipt of such cheques will also be available at the Reception/in Pigeon Box.

22. अंशदान से छूट :

Exemption for Subscription

22.1 आश्रितों सहित अवैतनिक सदस्यों को कोई प्रवेश शुल्क अथवा मासिक अंशदान अदा नहीं करना होगा।

22.1 Honorary Members and their dependants shall not be liable to pay any entrance fee or monthly subscription.

22.2 इसी प्रकार दि.वि.प्रा. के खिलाड़ी और कर्मचारी, जो विभिन्न पदों पर खेल परिसरों में कार्य कर रहे हैं, जब तक वे खेल परिसर में कार्य करते रहेंगे तब तक उनको स्वयं के लिए और उनके आश्रितों के लिए अंशदान का भुगतान करने से छूट है।

22.2 DDA officials who are working in the Sports Complex in various capacities are exempted from paying subscription including their dependents as long as they are working in the Sports Complex.

22.3 खेल परिसरों के विकास-कार्यों से जुड़े दि.वि.प्रा. के अभियंताओं, वास्तुकारों आदि से तब तक मासिक अंशदान नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे खेल परिसरों के कार्य से जुड़े रहेंगे। तथापि उन्हें उनके आश्रितों के लिए सामान्य दर पर मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा। सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर निदेशक (खेल) द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें पृथक-पृथक अनुमोदित किया जाएगा।

22.3 DDA Engineers, Architects etc. who are associated with the development of Sports Complex would also not be charged monthly subscription till such time they are associated with the Sports Complex. However, monthly subscription for their dependents would be Payable at normal rate. Such cases will be processed and approved individually by Director (Sports) on receipt of written request from the members.

23. सदस्यता समाप्त करना :

Termination of Membership

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी :-

Membership can be terminated for any of the following reasons:-

- (क) सदस्य के अनुरोध पर।
(a) On the Member's request.
- (ख) 3 माह अथवा उससे अधिक अवधि के लिए खेल परिसर की देय राशि का भुगतान न करने पर। (सदस्य के पत्र प्राप्त न होने के लिए प्रबंध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।)
(b) For non-payment of dues for a period of 3 months or more. The Management Board will not be responsible for non-receipt of letters/dues notices by the members.
- (ग) दुराचार अथवा खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य अथवा खेल परिसर के नियमों और विनियमों तथा उप-विधियों का उल्लंघन करने अथवा यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
(c). For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the Sports Complex or infringement of rules, regulations and bye laws of the Sports Complex or if any member is adjudicated as bankrupt or insolvent.

(घ) यदि सदस्य किसी दूसरे ऐसे देश का नागरिक हो तथा उस दूसरे देश और भारत के बीच युद्ध घोषित हो गया हो।

(d) If being a subject of a foreign State where war has been declared between India and the State for which he/she is a subject.

(ङ) यदि उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार अथवा नैतिक गिरावट के रूप में माने गये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(e) If any member is convicted for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Board.

(च) यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निर्णय में यह लिखा गया हो कि सदस्यता जारी रहने से खेल परिसर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(f) If in the judgement of the Chairman/Vice Chairman, DDA, the continuance of the membership is prejudicial to the interest of the Sports Complex.

(छ) सदस्यों को दि.वि.प्रा. खेल परिसर में किसी फोरम, एसोसिएशन का गठन करने या कोई मजदूर संघ कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस संबंध में खेल प्रबंध बोर्ड या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(g) The members are not allowed to form any Forum or Association or any Trade Union activities within the DDA sports complexes, failing which, such members will be liable to be expelled from membership and their membership will be terminated. In this behalf, the decision of the Sports Management Board or Vice-Chairman, DDA shall be final & binding.

24. देय राशियों का भुगतान नहीं करना

Non-Payment of Dues

यदि कोई सदस्य तीन महीने अर्थात् एक तिमाही की अवधि के लिए अपने देय अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो उसे परिसर के रिकार्ड में दर्ज अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें स्मरण-पत्र जारी होने के 15 दिनों के अंदर देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यदि सदस्य निर्धारित अवधि के अंदर देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा तो उसका नाम अगले 15 दिनों के लिए परिसर के नोटिस बोर्ड पर चूककर्ताओं की सूची में लिख दिया जाएगा और तत्पश्चात् उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

Any member who does not pay his subscription in advance for a period of three months i.e. for one quarter will be sent a registered notice addressed to his last known address as per records of the complex asking him to clear it within 15 days of the issue of notice. If the member fails to pay the dues within the stipulated period, his/her name will be put up in the defaulter's list on the complex's Notice board for another 15 days and thereafter his membership will automatically stand terminated.

25. रद्द की गई सदस्यता बहाल करना

Restoration of Cancelled Membership

सामान्यतः अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक ने दो वर्षों की अवधि के अंदर आवेदन किया हो और निदेशक (खेल) उस आवेदन से संतुष्ट हों तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अवधि सहित आज तक की बकाया राशि के साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुल्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा।

Restoration of Membership is normally not permitted except in exceptional cases if applied within a period of two years subject to the satisfaction of Director (Sports) and on payment of 1/3rd of the current membership entrance fee along with upto date payment of arrears including the period for which membership remained under cancellation.

25.1 यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा :-
Request for restoration of membership will not be entertained where membership was cancelled :-

(क) सदस्य के अनुरोध पर।

On the member's request.

(ख) दुराचार या खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल-परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप-विधियों का उल्लंघन किया गया हो।

For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the complex or infringement of rules/regulations and bye-laws of the sports complex.

(ग) यदि किसी सदस्य ने प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार या नैतिक पतन के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो।

If any member is proceeded against for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Board.

25.2 जिस अवधि के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अवधि की अनुपस्थित सदस्यता (प्रभावित अवधि) की सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास-स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Proof of out of station/residence submitted for restoration of membership will not be entertained for absentee membership of period (affected period) for which membership remained under cancellation.

26. अस्वीकृत चैक

Dishonoured Cheques

सदस्यों के चैक "चैक काटने वाले को वापिस", "धनराशि उपलब्ध नहीं है" "और सदस्य द्वारा भुगतान रोकने" अथवा अन्य किसी कारण से चैक अस्वीकृत हो जाने पर सदस्य को तत्काल 35/- रु० की जुर्माना राशि के साथ देय राशि का नकद भुगतान करना होगा। नियमों में दी गयी निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

Members whose cheques deposited with the complex, are dishonoured either due to "Refer to Drawer" "funds not catered" or "stoppage of payment" or for any other reason will be required immediately to pay their dues in cash along with a penalty of Rs. 35/-. In the event of payment not being made within the specified period as given in the rules, the membership is liable to be terminated.

27. सदस्यों को नोटिस

Notices to Members

जिन मामलों में किसी भी नियम के अंतर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्ते कि अन्य व्यवस्था न हो।

In all cases where it is necessary to give notice to members under any of the rule, it shall be sufficient that such notice be sent or posted to their last known address, save as otherwise provided.

28. नियमों और उप-विधि का उल्लंघन होना

Violation of Rules & Bye-Laws

प्रबंध बोर्ड को नियमों और उप-विधियों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्यता को समाप्त करने के लिए और परिसर के उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

The Management Board is empowered to suspend the membership of any member for violation of rules and bye-laws and can disqualify him/her for the use of complex facilities.

29. सदस्यों का आचरण

Conduct of Members

यदि परिसर-प्रभारी की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।

In case the conduct of a member or dependant, in the opinion of the complex incharge is injurious to the character and interest of the complex, his/her membership shall be suspended/terminated.

30. अनुपस्थित-बाह्य सदस्यता

Absentee Outstations Membership

30.1 ऐसे सदस्य, जिन्हें दिल्ली/देश से अस्थायी रूप से लगातार न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हो, वे अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध-पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता कार्ड जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।

Members who may be remaining temporarily out of Delhi/Country for a minimum period of three months at a time may apply for absentee (outstation) membership. This will commence only from the date of their departure and subject to the receipt of written communication along with documentary proof in the form of office order, transfer certificate, passport/visa etc. Absentee (outstation) membership will be approved on the surrender of cards which can be reclaimed on return by the member.

30.2 सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि, यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश से बाहर ठहरे हुए हों तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रूप में पृथक से अनुमति दी जा सकती है।

Dependants will also be treated as outstation absentee members along with the member. Dependents, however, can be granted permission for being outstation absentee members separately if they are staying outside for studies etc. subject to providing proof and surrendering of cards.

30.3 किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।
Not using the complex for any reason is no excuse for claiming absentee (outstation) membership.

30.4 उप नगरों, जैसे—नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।

Satellite towns like Noida, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, Bahadurgarh are treated as being within Delhi.

30.5 अनुपस्थित सदस्य और प्रत्येक आश्रित के लिए मासिक अंशदान उक्त पैरा-20 में निर्धारित है।

Monthly subscription for absentee member and dependants is prescribed at Para 20 above.

30.6 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता की अनुमति अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए दी जा सकती है।

Absentee (outstation) membership will be granted for a maximum period of five years continuously.

30.7 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। वह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।

Absentee (outstation) membership will not be granted ex post-facto. It will commence from the date of receipt of written request & completion of usual formalities.

31. सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग

Use of Complex by Govt./recognised Schools/Colleges/Institutions.

स्कूलों/महाविद्यालयों को परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की अनुमति बैच बुकिंग आधार पर एक माह की अवधि के लिए दी जा सकती है। यह अनुमति खेलों, जैसे—बास्केट बाल, फुटबाल,

हाकी, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, आदि के लिए समय-समय यथा निर्धारित नाम मात्र के प्रभार पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्रति घंटा/प्रति माह के आधार पर है। यह अनुमति मैदान उपलब्ध होने पर दी जाएगी।

Permission to Schools/Colleges to use the facilities of the complex can be granted on batch booking basis for a period of one month. This is applicable to games like Basketball, Football, Hockey, Table-Tennis, Badminton, Squash etc on nominal charges as fixed from time to time for each category per hour per month. This permission will be granted subject to availability of grounds/courts/tables.

32. नियमों और उप-विधि की प्रतियां

Copies of Rules & Bye-Laws

32.1 परिसर के प्रशासनिक कार्यालय में संदर्भ के लिए नियमों और उप-नियमों की प्रति उपलब्ध होगी और इनकी प्रति परिसर के सदस्यों द्वारा मांग करने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।

A copy of the rules and by-laws will be available in the Complex Administrative office for any reference and shall be furnished to members of the complex on payment of prescribed fee.

32.2 परिसर की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधियों को मानने के लिए बाध्य है।

Any person who has taken up membership of the complex is bound by the rules, regulations and bye-laws of the complex.

33. गैर सदस्य छात्रों द्वारा खेल सुविधाओं का उपयोग

Utilisation of Sports facilities by students who are not members.

“छात्रों को अपना पहचान-पत्र दिखाकर खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक लाभ उठाने की अनुमति है, जिसके लिए उन्हें 10/- रु प्रति दिन अथवा 200/- रु प्रति माह या शुल्क की यथा संशोधित दरों का भुगतान करना होगा। तथापि, उन पर परिसर के अन्य नियम एवं विनियम और उप-नियम लागू होंगे।”

Students are permitted to use sports facilities at sports complex between 10.00 AM to 4.00 PM on production of their Identity Card and subject to payment of Rs. 10/- per day or Rs. 200/- per month or as revised rates of fee. Other rules and regulations & bye-laws of the complex will remain the same for them.

34. प्रशिक्षण

34. Coaching

परिसर में कुछ खेलों में प्रशिक्षण उपलब्ध है। परिसर में समय-समय पर योग्य प्रशिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं। प्रशिक्षण कक्षाओं और शुल्क का विवरण खेल-परिसर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Coaching in certain disciplines is available in the complex. The complex has engaged the services of qualified coaches from time to time. Details of coaching classes & fee can be obtained from the office of the sports complex.

- 34.1 परिसर के प्रशिक्षकों के अतिरिक्त सदस्य कोई अतिथि और अन्य व्यक्ति परिसर में कोई अन्य निजी प्रशिक्षक नहीं ला सकते। ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखेबाजी या दुराचरण के लिए परिसर के प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

Apart from the complex coaches no other private coaching is allowed in the complex from the members or any guest and other persons. Complex authority will not be responsible for cheating or any misconduct by such persons.

- 34.2 यदि कोई व्यक्ति निजी प्रशिक्षण लेता-देता पाया गया तो परिसर के प्राधिकारी को ऐसे सदस्य/प्रशिक्षक को परिसर से निकालने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

If some body is found indulging in private coaching, the complex authority has full right to debar such member/coach from the complex and disciplinary/punitive action will be initiated against such member.

35. समय

Timings

खेल परिसर के खुलने और बंद होने के समय और उसमें उपलब्ध की जाने वाली सुविधा का समय प्रबंध-बोर्ड के आदेश के अनुसार होगा। सामान्यतः परिसर का समय गर्मियों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगा। सर्दियों में परिसर प्रातः 6.30 बजे खुलेगा तथा सदस्य सुविधा का उपयोग रात्रि 8.30 बजे तक कर सकते हैं। खेलकूद सुविधाओं के लिए सोमवार अवकाश का दिन होगा। प्रबंध-बोर्ड कनिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा सुविधाओं के उपयोग के लिए, कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष समय/दिन निश्चित कर सकता है। प्रबंध-बोर्ड वह विशेष दिन भी तय कर सकता है, जिसमें अतिथि को आने की अनुमति नहीं होगी।

The timings of opening and closing of sports complex and of any facility provided therein will be as per the order of the Management Board. Normally, timing will be 6.00 AM to 9.00 PM in summer. In winter, the sports complex will open at 6.30 AM. and members can use the facilities upto 8.30 PM. Monday will be observed as closed day for sports facilities. The management board may set apart specific timings/days for use of facilities by juniors, for coaching and training too. The Management board may also prescribe specified days on which guests may not be allowed.

36. किसी हानि/चोट/क्षति के लिए मुआवजा :

Compensation Against Any Loss/Injury/Damages
'सदस्यों, उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, चोट अथवा क्षति न पहुंचे। दि.वि.प्रा.

और/अथवा खेल परिसर का प्रबंध-मण्डल किसी सदस्य, उनके आश्रितों, खेल परिसर में लाए गए किसी अन्य व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट, हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दि.वि.प्रा. और प्रबंध मण्डल किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने पर कोई हानि, चोट अथवा क्षति पहुंचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दि.वि.प्रा. और उसके प्रबंध-मण्डल को होने वाली क्षति की भरपाई की जाएगी।"

"The members, their dependents/guests and other persons are required to take all precaution so that no loss, injury or damage is caused to any person. The DDA and/or the Management of the Sports Complex shall not be responsible for any injury, loss or damage sustained or caused to any member, his dependents, any other person brought to the Complex or passing through the Sports Complex or using any facilities of the Sports Complex. The DDA and the Management shall not be responsible for any loss, injury or damage caused to any person on any account including the negligence or otherwise of other member or persons on the complex or using the Complex and the DDA and its Management shall be indemnified and shall always be kept indemnified by the members and other persons."

टिप्पणी :-

NOTES :-

- यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारे में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य के किसी भी दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूरभाष नं. स्वागत कक्ष : 22164726

फैक्स नं. सचिव : 22166499

It shall be the responsibility of the applicant to enquire about approval of his membership within 30 days from the date of submission of application form, if approval/non-approval of membership is not received. Non-receipt of such a letter shall not tantamount to any claim by the member.

Tale . Reception : 22164726

Fax. Secretary : 22166499

- मासिक अंशदान के लिए कोई बिल नहीं भेजा जाएगा।
No bills will be sent for monthly subscription.
- खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिचर के सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जांच कर सकते हैं।

It is mandatory to show the membership card/receipt to the Security Personnel/game attendant posted at reception/gate before entering into the facility area. Membership card can be checked at any time any where by complex officials/officers.

दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना खेल परिसर
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY YAMUNA SPORTS COMPLEX

उप-विधियाँ

BYE-LAWS

1. परिभाषा

Definition

इस 'उप-विधि' में प्रयोग किए गए 'सदस्य' शब्द में व्यक्तिगत निगमित, अस्थायी, आकस्मिक, कर्मचारी, मानद, विशेष मानद, एसोशिएट, अनिवासी भारतीय और वरिष्ठ नागरिक सदस्य शामिल हैं।

The term 'member' as used in these "bye-laws" includes Individual, Corporate, Temporary, Casual Staff, Honorary, Special Honorary, Associate, NRI and Senior Citizen members.

2. कार्य दिवस और समय

Working Days & Timings

परिसर सोमवार, जो कि खेल-सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है, और प्रबंध-मण्डल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश के दिनों (अर्थात् 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा। परिसर सामान्यतः सर्दियों में अर्थात् 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे और गर्मियों में अर्थात् 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहता है। परिसर होली (पूर्वाह्न), दशहरा और दीपावली (अपराह्न 2.00 बजे के बाद) को आंशिक रूप से बंद रहेगा।

The complex will remain open on all days of the week except Monday which will be observed as closed day for sports facilities and on days specified by the Management from time to time and on three National holidays (i.e. 26th Jan., 15th August & 2nd October). The complex will normally remain open from 6.30 AM to 8.30 PM in winter i.e. 1st Dec. to 28th Feb. and from 6 AM to 9.00 PM in summer i.e. 1st March to 30th Nov. The complex will remain partially closed on Holi (forenoon), Dussehra & Deepawali (after 2.00 PM).

3. विभिन्न खेलों/गतिविधियों के लिए समय प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगा। तथापि, समय-समय पर इसे अधिसूचित किया जाएगा। Detailed timings for various sports/activities would be approved by the Management Board. These will however be notified from time to time.

4. तथापि, परिसर के प्रशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाशों के दिन बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश को छोड़ कर) स्वीकार किया जाएगा।

The Administrative/Accounts office of the complex will, however, remain closed on every Sunday, 2nd Saturday & all Gazetted Holidays. The payment will be accepted by Accounts office between 10.00 AM to 3.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM.

5. प्रबंध बोर्ड ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।

The management board may prescribe specified days on which guests are not allowed and also set apart specific timings/ days for use of facilities by sports persons for coaching & training.

6. परिसर के कर्मचारी

Complex Staff

सदस्य, उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति परिसर के किसी कर्मचारी के साथ गाली-गलौच नहीं करेंगे और किसी भी स्टाफ-सदस्य के साथ झगड़ा आदि नहीं करेंगे। सदस्य द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसी/अगले कार्य-दिवस को सचिव को लिखित में मामले की रिपोर्ट की जाएगी अथवा प्रबंधक के पास रखी शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। सचिव या तो स्वयं मामले की जांच कर सकते हैं अथवा मामला प्रबंध-बोर्ड के समक्ष, जैसा वह आवश्यक समझे, भेज सकते हैं।

Members, their guests and dependents shall not abuse any of the complex staff or use violence whatsoever to any person of the staff. In the event of the member having any occasion to find fault with any person of the staff of the complex, a report of the case should be made in writing to the Secretary on the same/next working day and it should be entered in the Complaint Book kept with the Manager. The Secretary may either deal with case or refer it to the Management Board as may be found necessary.

7. किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी को निरुद्देश्य, संदेश भेज कर अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से हटाया नहीं जाएगा।

The complex staff will not be sent on any errand or with the message or otherwise withdrawn from his place of work by any member, dependents or guests.

8. कर्मचारी को इनाम देना ।

Tipping to staff

कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को इनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा । कर्मचारी/परिसर के कर्मचारी इनाम नहीं मांगेंगे/लेंगे ।

No member shall give any money by way of tips to any complex staff. The staff/complex employee is prohibited to solicit or accept gratuities.

9. पौधों, पौध और लघु पौधों की आपूर्ति

Supply of Plants Seedlings & Saplings

पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमति नहीं है । सदस्य माली अथवा किसी भी कर्मचारी को ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे । मालियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है ।

Sale of plants, seedlings & saplings is not permitted. Members will not ask gardeners or any staff member for the same. Gardeners are forbidden to supply plants, flowers etc. to members.

10. वस्तुओं सामग्री की बिक्री

Selling of items/materials

किसी अधिकृत दुकान से भिन्न किसी अन्य द्वारा खेल परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बचने पर कड़ी पाबंदी है । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

Selling of any material of any kind other than by the authorised shop in the complex premises is strictly prohibited. Disciplinary action will be initiated against such person.

11. टूट-फूट

Breakages

सदस्यों, उनके अतिथियों और आश्रित व्यक्तियों अथवा उनके नौकरों द्वारा परिसर की किसी भी सम्पत्ति को तोड़ने पर पूरी कीमत देनी होगी । तथापि, प्रबंध-मण्डल की राय में किसी सामान को जानबूझ कर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस सामान की राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा ।

Full value will be charged for all breakages of the complex property from members, their guests and dependents or their servants. However, if in the opinion of the Management, the breakages are wilful, the members may be required to pay upto six times the value of the article.

12. सुझाव और शिकायतें

Suggestions & Complaints

यदि कोई सुझाव या शिकायत, हो तो इस उद्देश्य के लिए रखी सुझाव/शिकायत-पुस्तिका में उसे दर्ज किया जा सकता है, जिसे प्रबंधक से प्राप्त किया जा सकता है । सुझाव/शिकायत को सचिव और प्रबंध-बोर्ड द्वारा देखा जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है । तथापि, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है । यह स्वयं सदस्य द्वारा दर्ज की जानी चाहिए ।

Suggestions and Complaints, if any, should be entered in Suggestion/Complaint book kept for this purpose and can be obtained by any member from the Manager. The Suggestion/Complaint will be looked into by the Secretary and the Management Board and disposed off accordingly. Spouses and dependent children are, however, not permitted to enter any Suggestion or Complaint in the Suggestion/Complaint book. This may be done by the members themselves.

13. परिसर का सामान

Articles of the Complex

किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियों, जैसे-फर्नीचर, क्राकरी अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दिया जाएगा ।

Properties of the complex such as furniture, crockery or other equipment will not be issued/lent to any member or to any organisation outside the complex premises.

14. पालतू जानवर

Pets

परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है । इस उप-विधि का उल्लंघन करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर 500/- रु0 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

Dogs/pets are not to be allowed in any part of the complex. For each violation of this bye-law, the owner of the dog/pet may be charged/fined Rs. 500/-

15. साईकिल/स्कूटर

Cycles/Scooters

परिसर के लॉन/कार्ट में साईकिल स्कूटर और मोटर साईकिल चलाने की अनुमति नहीं है । साईकिल और स्कूटर/मोटर साईकिल को साईकिल/स्कूटर पार्किंग में खड़ा करना चाहिए । Cycling, riding scooters and motor cycles on the lawns/courts of the complex is not permitted. Cycles and Scooters/Motorcycles should be parked in the Cycle/Scooter parking.

16. नोटिस

Notices

किसी भी छपी सामग्री/सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले परिसर के सचिव के अनुमोदन के लिए भेजना होगा, जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है । नोटिस को सामान्यतः एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा ।

Any printed/circular material for the notice board of the complex must be sent to the complex Secretary for approval and got initialed by him before being placed on the notice board. Members are not permitted to place any notice. Notices will normally be displayed for a week only.

17. भुगतान

Payment

प्रबंध-मण्डल नकद में किए गए भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा भुगतान समुचित रसीद देकर खजांची को न किया गया हो ।

The management will not be responsible for payments made in cash, unless such payments are made to cashier against a proper receipt.

18. बैंक सदस्यों द्वारा भुनाये नहीं जा सकते । सदस्यों के बैंकों को परिसर निधि के लिए भुनाना वर्जित है ।

Cheques cannot be encashed by members. The use of complex funds for encashing of members cheques is strictly forbidden.

19. वाहनों की पार्किंग

Parking of Vehicles

सदस्य कारों/स्कूटरों/मोटर साइकिलों आदि को पार्किंग के लिए निर्धारित समुचित क्षेत्र में ही खड़ा करेंगे ।

Members will park cars/scooters/motorcycles etc in the proper area specified for the purpose.

20. "नो पार्किंग एरिया" में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों/उनके आश्रित व्यक्तियों को जुर्माना अदा करना होगा ।

Members/dependents shall be liable to pay the penal charges as prescribed in case of parking in the "No parking area".

21. खेल परिसर किसी वाहन के खोने अथवा वाहन के अन्दर रखी किसी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु, चाहे वह वाहन के अन्दर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
The sports complex shall not be held responsible for the loss of any vehicle or any belongings or fitments either kept inside or fitted in the vehicle.

22. खेल परिसर के अन्दर साइकिल सहित वाहनों की पार्किंग पूर्णतः स्वामी के जोखिम पर है ।
Parking of vehicles including cycles inside the sports complex is purely at the owner's risk.

23. परिसर में तेज गति से वाहन चलाना?

Overspeeding in the complex

परिसर में प्रवेश करते समय कारों/स्कूटरों/मोटर साइकिलों की गति 10 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए । परिसर में गति का अधिक होना और हॉर्न को जोर जोर से बजाना मना है ।

While entering the complex, cars/scooters/motorcycles must slow down to a speed of not more than 10 km. per hour. Overspeeding and honking of horns on the complex roads is not permitted.

24. वर्दी विनियम

Dress Regulations

सदस्यों को परिसर के अन्दर वर्दी पहनने के संबंध में समुचित रूप से नियमों का पालन करना होगा । किसी भी परिस्थिति में परिसर के अन्दर कुर्ता पाजामा, चप्पल/बाथरूम स्लीपर्स अथवा सलवार कमीज, गाऊन आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी ।

Members will ensure that proper decorum with regard to wearing of dress in the complex is always maintained. Under no circumstances the gentlemen will be permitted to visit the complex in Salwar kameez/Kurta Pyjama, Vest Chappals/ Bathroom slippers or dressing gowns etc.

25. प्रत्येक खेल/गेम के लिए उप-विधि में निर्धारित उचित स्पोर्ट्स-किट पहननी होगी ।

Proper sports kit will be worn for each sport/game as designated in the bye-laws.

26. अल्पाहार

Refreshment

सदस्यों की सुविधा के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्नैक्स बार बनाए जाएंगे, जहां अल्पाहार उपलब्ध होगा ।

Snack bars with light refreshment are located at convenient places for the convenience of members.

27. मद्यपान एवं धूम्रपान

Drinking & Smoking

परिसर के अन्दर शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन करना सख्त मना है । सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और मदिरापान एवं धूम्रपान न करें ।

Consuming liquor or alcoholic drinks and smoking in the premises of the complex is strictly prohibited. Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking.

28. फिल्म बनाना/फोटो खींचना

Shooting/Photography

प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में फिल्म (स्टिल/वीडियो) बनाना मना है ।

Shooting (Still/Video) in the premises of the complex is not permitted without prior approval of the Administration.

29. अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बन

Suspension of membership for indiscipline

परिसर के नियम 23, 28 एवं 29 के अनुसार निदेशक (खेल) को अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्य और आश्रित की सदस्यता को निलम्बित करने का अधिकार है । सदस्य के निलम्बित होने पर निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी ।

Director (Sports) is empowered to suspend any member and dependent for indiscipline as per rule 23, 28 & 29 of the complex. The following actions will be taken on suspension of member :

(क) निलम्बित सदस्य की सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा ।

A suspended members shall hold his/her lien over the membership status.

(ख) उसे सदस्यता कार्ड वापिस करना होगा ।

He will surrender membership card.

(ग) जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी ।

He/She will not be allowed to use the facilities until the suspension is revoked.

(घ) जांच के पश्चात यदि सदस्य निर्दोष सिद्ध होता है तो उसे बकाया-राशि का भुगतान करना होगा । यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है तो औपचारिक जांच के पश्चात उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

After holding an inquiry if the member is found innocent, he/she will be liable to clear the arrears. If the member is found guilty his/her membership will be terminated after a formal enquiry.

30. परिसर में हथियार और गोला-बारुद ले जाने की अनुमति नहीं है ।

No arms and ammunition are allowed in the premises of the complex.

दिल्ली विकास प्राधिकरण, यमुना खेल परिसर

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY YAMUNA SPORTS COMPLEX

31. खेल उप-विधि

Sports Bye-Laws

ये निम्नलिखित परिशिष्टों में दी गई हैं :-

These are given in appendices attached as under :-

क्रम सं० S. No.	खेल Game	परिशिष्ट Appendix	पृष्ठ सं० Pages
1.	टेनिस Tennis	'ए'	17-18
2.	टेबल-टेनिस Table Tennis	'बी'	19
3.	बैडमिन्टन Badminton	'सी'	20
4.	स्कवॉश Squash	'डी'	21
5.	बिलियर्ड्स/स्नूकर Billiards/Snooker	'ई'	22-23
6.	ताइक्वाण्डो Taekwondo	'एफ'	24
7.	क्रिकेट Cricket	'जी'	25
8.	क्रिकेट/प्राैक्टिस पिच Cricket Practice Pitches	'एच'	26-27
9.	हाकी/फुटबाल Hockey/Football	'आई'	28
10.	एरोबिक्स Aerobics	'जे'	29
11.	योग Yoga	'के'	30
12.	बास्केटबाल/वालीबाल Basketball/Volley ball	'एल'	31
13.	जिमनारिटक Gymnastics	'एम'	32-33
14.	क्लाइम्बिंग/वाल Climbing Wall	'एन'	34

क्रम सं० S. No.	खेल Game	परिशिष्ट Appendix	पृष्ठ सं० Pages
15.	कैरम Carrem	'ओ'	35
16.	तैराकी Swimming	'पी'	36-37
17.	टोडलर्स पूल Toddlers pool	'क्यू'	38-39
18.	फिटनेस सेन्टर/मल्टीजिम Fitness Centre./Multigym	'आर'	40-41
19.	स्केटिंग Skating	'एस'	42
20.	स्कूलों/कॉलेजों/सार्वजनिक संस्थाओं हेतु उप-विधि bye-Laws for Schools/Colleges/Public Institutions	'एक्स'	43
21.	उपविधि का समय Summary of bye-laws	'वाई'	44-46
22.	महत्वपूर्ण खेलों की सूची का सारांश Summary of Important bye-laws	'जेड'	47